

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी

बनाम

प्रतिवादी

ताजाराम पुत्र उमाराम जाति जाट
निवासी माडपुरा सानी तहसील बाडमेर
ग्रामीण जिला बाडमेर।

1 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बाडमेर 2
तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण 3 गंगा पुत्र देवा के कायम
मुकाम 3/1 गोमी पत्नी गंगा सुनार 3/2 चन्दप्रकाश
पुत्र गंगा सुनार 4 नारणाराम 5 सोनाराम पिसरान
देवाराम सुनार निवासी छीतर का पार तहसील बायतु
जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 178/2002

निर्णय दिनांक :- 10/10/22

वकील वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3/2 व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस
वाद में आज तारीख 10/10/22 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड
अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है
और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद प्रमाणित करने में विफल रहने के कारण इसी स्टेज पर खारिज
किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 10/10/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।


(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़